तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **निगरानी/टि.ए./2260/2005/भरतपुर** **मूर्ति मंदिर बनाम रामस्वरुप**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-06-2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति-** श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता प्रार्थी श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम,1955) की धारा 230, के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा दिनांक 26-4-2005 को अपील संख्या 86/2004 प्रकरण अनुवानी मूर्ति मंदिर चतुर्भुज जी बनाम राम स्वरुप में पारित निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वादी/वर्तमान निगराकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के न्यायालय में अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 व 183 के तहत वाद प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 16-3-2004 को उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर द्वारा प्रतिवादी संख्या-6 के फौत हो जाने से व मृतक के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही अंदर मियाद नहीं करने से, अबेट किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध वादी-अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें रैस्पो0 की ओर से आपत्ति अर्न्गत आदेश 7 नियम 11, सी0पी0सी0 प्रस्तुत की गई कि इस आदेश के विरुद्ध अपील पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अविधिक रुप से इस प्रार्थना पत्र की आपत्ति के आधार पर अपील को मैंटेनेबिल नहीं होना मानते हुये खारिज किया है। योग्य अधिवक्ता का बहस में कथन रहा है कि दावा अबेट होने के आदेश के विरुद्ध आदेश 43 नियम 1 (के),	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **<u>निगरानी/टि.ए./2260/2005/भरतपुर</u>** **<u>मूर्ति मंदिर बनाम रामस्वरुप</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सी0पी0सी0 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपील के प्रावधान हैं, माननीय मण्डल ने प्रकरण अनुवानी कांशीराम बनाम शिवभगवान आर0आर0डी0 2001 पेज 42 में इसे तय किया है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अबेटमैंट को निरस्त करने के प्रार्थना पत्र को खारिज करने व वाद को खारिज करने के आदेश के विरुद्ध अपील लाई करती है, अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रुप से विधि विरुद्ध है। इसी बिन्दु पर योग्य अधिवक्ता ने आर0आर0डी0 1999 पेज 301 का हवाला दिया। योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि परीक्षण न्यायलाय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 10–ए की पालना नहीं की है, यदि प्रतिवादी के अधिवक्ता को प्रतिवादी संख्या–6 के फौत होने का ज्ञान था तो उन्हें न्यायालय के संज्ञान में इस तथ्य को लाना चाहिए था। न्यायालय को प्रकरण को गुणावगुण पर तय करने का प्रयास करना चाहिए। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त करने और मृतक धर्मेश कुमार के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया। अप्रार्थी की ओर से योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या–6 वास्तव में वादी के परिवार का ही सदस्य है और यह स्वीकार योग्य नहीं रहता है कि उसके फौत होने का ज्ञान वादी को नहीं रहा हो। वादी द्वारा निर्धारित समयावधि में मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु आवेदन नहीं किया है। अतः परीक्षण न्यायालय का आदेश उचित है और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय भी उचित है। निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत इस आदेश में हस्तक्षेप उचित नहीं है, निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाये। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व अन्य उपलब्ध अभिलेख व विधि का अध्ययन किया।	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **निगरानी/टि.ए./2260/2005/भरतपुर** **मूर्ति मंदिर बनाम रामस्वरुप**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली के अवलोकन से यह स्वीकार्य तथ्य है कि वादी/वर्तमान निगराकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के न्यायालय में प्रस्तुत किए गए वाद में उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर द्वारा प्रतिवादी संख्या–6 के फौत हो जाने से व मृतक के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही अंदर मियाद नहीं करने से, दावा वादी अबेट किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील को पोषणीय नहीं होना माना है। इस सम्बन्ध में आदेश 43 नियम 1 (के), सी0पी0सी0 के प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट रुप से प्रावधित किया गया है कि **वाद के उपशमन या खारिजी को अपास्त करने से इन्कार करने का आदेश जो आदेश 22 के नियम 9 के अधीन दिया गया हो**, अपील योग्य आदेश है। न्याय दृष्टान्त आर0आर0डी0 2001 पेज 42 में मत प्रतिपादित किया है:– Code of Civil Procedure, Order 22, rule 4 - Revision against order of S.D.O - Held, defendant No. 13 "H" expired on 21.3.97 - Application under order 22, Rule 4 alongwith prayer of condone the delay beyond 90 days was filed on 29.12.97 u/s 5, Limitation Act - Legal representative wer not brought on record within stipulated time - Auit automatically abated - Impugned order was subject to appeal - Revision, held not maintainable (Para 5) Revision Dismissed हस्तगत प्रकरण में सुस्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा वादी के वाद को अबेट होने के आधार पर खारिज किया गया है और डिक्री पारित किया गया है, इससे सुस्पष्ट है कि प्रकरण को अंतिम रुप से तय किया गया है। इस प्रकार का आदेश मण्डल के समक्ष निगरानी के माध्यम से चुनौती देने के बजाए अपील योग्य आदेश है जैसा कि स्पष्ट रुप से विधिक प्रावधान हैं। अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11, सी0पी0सी0 की प्राथमिक आपत्ति के आधार पर	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **<u>निगरानी/टि.ए./2260/2005/भरतपुर</u>** **<u>मूर्ति मंदिर बनाम रामस्वरुप</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील को पोषणीय नहीं मानते हुये जो आदेश पारित किया है वह उचित आदेश नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने समान प्रकृति के प्रकरण में आर0आर0डी0 1999 पेज 301 पर स्पष्ट मत दिया है कि मंदिर मूर्ति के हितों को देखेते हुये अपील को तकनीकी आधार पर निर्णित करने के स्थान पर गुणावगुण पर तय करना चाहिए। फलतः उपरोक्त विवेचन व विधिक परिप्रेक्ष्य में, हस्तगत अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा दिनांक 26-4-2005 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण उन्हें प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि अपील में विधिक रुप से परीक्षण करते हुये गुणावगुण आधारित निर्णय, उभय पक्ष को सुनते हुये पारित करें। उभय पक्ष दिनांक 29.06.2018 को राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	